

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

क्रमांक / 82 / स्थापना-सेवा / 2015 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 33 / स्थापना सेवा / 2015, दिनांक 13.03.2015 द्वारा रिक्त उप पंजीयक के पद के प्रभार में पदस्थ किए गए निम्नलिखित पंजीयन लिपिकों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये कॉलम नंबर 3 के उप पंजीयक के पद के प्रभार से मुक्त करते हुए स्थानांतरित कर कॉलम नंबर 4 के जिला पंजीयक कार्यालय में पदस्थ किया जाता है।

स.क्र.	पंजीयन लिपिक का नाम	वर्तमान उप पंजीयक के पद के प्रभार की पदस्थापना	पंजीयन लिपिक के पद पर नवीन पदस्थापना का जिला पंजीयक कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री राजेश प्रताप सिंह	देवसर, जिला सिंगरौली	जिला पंजीयक कार्यालय रीवा
2.	सुश्री शैल सक्सेना	खिलचीपुर, जिला राजगढ़	जिला पंजीयक कार्यालय शाजापुर


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा,

निरंतर....2

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी। इसके अलावा उसके विरुद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां० क्र० २७१ /स्थापना-सेवा/2015

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त,, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिलाध्यक्ष, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन जबलपुर/इंदौर/भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/ जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानांतरित अधिकारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित श्री मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश